भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2544

दिनांक 16.12.2025 को उत्तरार्थ

पंचायतों के लिए अनुदान

†2544. एडवोकेट गोवाल कागडा पाडवीः

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि महाराष्ट्र में पंचायत अनुदान का एक बड़ा हिस्सा अप्रयुक्त रह गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख): पिछले तीन वर्षों के दौरान नंदुरबार,सोलापुर और सांगली सहित पंचायती राज ढांचे के अंतर्गत केंद्र द्वारा महाराष्ट्र को विशिष्ट मद के लिए तथा सामान्य खर्च के लिए स्वीकृत और आवंटित किए गए अनुदानों का वर्तमान जिला-वार तथा ग्राम पंचायत-वार पंचायत समिति बार, जिला-परिषद-वार, ब्यौरा क्या है;
(ग): अप्रयुक्त निधियों का प्रतिशत में ब्यौरा क्या है और मंत्रालय द्वारा चिन्हित किए गए प्रमुख कारण क्या है; और
(घ): क्या सरकार ने नंदुरबार,सोलापुर और सांगली में अच्छा प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को प्रोत्साहन देने के लिए तथा निधि प्राप्त करने और पारदर्शिता में सुधार के लिए कोई उपाय किए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) और (ग): पंचायत", "स्थानीय सरकार" होने के नाते, राज्य का विषय है और भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची का हिस्सा है। पंचायतों की स्थापना और संचालन संबंधित राज्य पंचायती राज अधिनियमों के माध्यम से किया जाता है, जो संविधान के प्रावधानों के अधीन, राज्य दर राज्य भिन्न हो सकते हैं।

राज्य सरकार द्वारा 01.12.2025 को उपलब्ध करायी गई सूचना के अनुसार, महाराष्ट्र राज्य में पंचायती अनुदानों के स्तरवार अप्रयुक्त राशि का विवरण निम्नानुसार है:

पंचायत	अप्रयुक्त अनुदान राशि
जिला परिषद	20.21%
पंचायत समिति	18.90%

ग्राम पंचायत	23.39%

राज्य सरकार के मुताबिक, अप्रयुक्त निधि की मुख्य वजहें काम के दायरे में परिवर्तन, भूमि संबंधी मुद्दे और पंचायती राज संस्थाओं द्वारा कार्यों को निरस्त किया जाना हैं।

(ख): वित्त मंत्रालय द्वारा 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु दिनांक 14.07.2021 को जारी परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार, ग्रामीण स्थानीय निकायों को अबद्ध (अनटाइड) और बद्ध (टाईड) अनुदान क्रमशः पंचायती राज मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय (पेयजल एवं स्वच्छता विभाग) की सिफारिशों के आधार वित्त मंत्रालय द्वारा पर राज्यों को जारी किए जा रहे हैं। इसके बाद, पंचायती राज संस्थाओं के सभी स्तरों के बीच अंतर-वितरण संबंधित राज्य सरकार द्वारा नवीनतम राज्य वित्त आयोग (SFC) की स्वीकृत सिफारिशों के आधार पर और 15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सीमाओं के अनुरूप किया जाता है।

जैसा कि राज्य सरकार ने 01.12.2025 को बताया है कि पिछले तीन सालों (2022-23, 2023-24 और 2024-25) के दौरान पंचायती राज ढांचे के तहत केंद्र द्वारा महाराष्ट्र को जारी किए गए पंद्रहवें वित्त आयोग टाईड और अनटाइड अनुदान का मौजूदा ज़िला और स्तर-वार (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ज़िला परिषद) विवरण क्रमशः **अनुबंध-I, अनुबंध-II, अनुबंध- III** में दिया गया है।

(घ): राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं द्वारा केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदानों के उपयोग में पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार एवं उसे सुनिश्चित करने के लिए, राज्य सरकारों को राज्य, ज़िला और ब्लॉक स्तर पर समवर्ती निगरानी के लिए एक पोर्टल उपलब्ध कराया गया है। अप्रैल 2020 से, मंत्रालय ने ई-ग्रामस्वराज वेब पोर्टल (https://egramswaraj.gov.in) की शुरूआत की, जो पंचायतों के सभी वित्तीय कार्यों - योजना से लेकर भुगतान तक को एकीकृत करता है। इस प्रणाली से प्राप्त प्रगति के आंकड़े (प्रोग्रेस डेटा) को निगरानी के लिए पोर्टल पर दर्शाया जाता है।

पारदर्शिता को और बढ़ाने के लिए, मंत्रालय ने ग्राम पंचायतों के लिए ई-ग्राम स्वराज को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के साथ एकीकृत किया है, जिससे विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं को वास्तविक समय पर डिजिटल भुगतान की सुविधा मिलती है। इसके अतिरिक्त, पंचायत खातों और उनके वित्तीय प्रबंधन की ऑनलाइन ऑडिटिंग को सक्षम बनाने के लिए अप्रैल 2020 में ऑडिटऑनलाइन एप्लिकेशन लॉन्च किया गया था। यह टूल केंद्रीय वित्त आयोग के धन के पारदर्शी उपयोग में सहायता करता है और पंचायत-स्तरीय वित्तीय निगरानी को मज़बूत करता है।

पंचायती राज मंत्रालय, संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान केंद्र प्रायोजित योजना के एक केंद्रीय घटक 'पंचायतों के प्रोत्साहन' योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों के माध्यम से प्रोत्साहित करता रहा है। इन पुरस्कारों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 से प्रभावी रूप से पुनर्गठित किया गया है, ताकि पंचायतों के प्रदर्शन का मूल्यांकन सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की प्राप्ति में 17 सतत विकास लक्ष्यों से समेकित 9 पहचाने गए स्थानीयकृत सतत विकास लक्ष्य विषयों के माध्यम से किया जा सके। ये विषय हैं: (i) गरीबी मुक्त एवं आजीविका संवर्धित पंचायत (ii) स्वस्थ पंचायत (iii) बाल-हितैषी पंचायत (iv) जल-पर्याप्त पंचायत (v) स्वच्छ एवं हरित पंचायत (vi) पंचायत में आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा (vii) सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायत (viii) सुशासन वाली पंचायत (ix) महिला-हितैषी पंचायत। पुरस्कार प्राप्त पंचायतों के प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है, जो

ग्राम पंचायत के लिए ₹50 लाख से लेकर जिला पंचायत के लिए ₹5 करोड़ तक है। इस पहल का उद्देश्य पंचायतों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और उन्हें स्थानीय शासन में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना है। सभी पंचायतें इन पुरस्कारों के लिए आवेदन करने की पात्र हैं।

*****

अनुबंध-I

पंद्रहवें वित्त आयोग के तहत वर्ष 2022-23 के लिए महाराष्ट्र के पंचायतों को जारी अनुदान का जिला-वार और स्तर-वार ब्यौरा

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	जिला	जिला परिषद	पंचायत समित	गाम पंचायत	कुल
1	ठाणे	411.09	400.56	6050.03	6861.68
2	पालघर	1138.29	1123.48	8944.94	11206.71
3	रायगढ़	--	--	10604.93	10604.93
4	रत्नागिरी	--	--	8197.07	8197.07
5	सिंधुदुर्ग	--	--	4296.94	4296.94
6	नाशिक	--	--	20397.20	20397.20
7	धुले	1088.39	1073.72	8373.08	10535.19
8	नंदुरबार	1018.79	1005.52	8234.83	10259.14
9	जलगांव	--	--	16418.76	16418.76
10	अहमदनगर	--	--	20781.39	20781.39
11	पुणे	--	--	18981.75	18981.75
12	सतारा	--	--	14363.76	14363.76
13	सांगली	--	--	11590.61	11590.61
14	सोलापुर	--	--	15697.76	15697.76
15	कोल्हापुर	--	--	16024.02	16024.02
16	संभाजीनगर	--	--	12903.81	12903.81
17	जालना	--	--	8803.16	8803.16
18	परभणी	--	--	7299.67	7299.67
19	हिंगोली	--	--	5829.93	5829.93
20	बीड	--	--	11678.12	11678.12
21	नांदेड़	--	--	14028.32	14028.32
22	धाराशिव	--	--	7876.54	7876.54
23	लातूर	--	--	10387.28	10387.28
24	बुलढाणा	--	--	11750.61	11750.61
25	अकोला	787.15	776.58	6060.87	7624.60
26	वाशिम	726.31	716.50	5554.28	6997.09
27	अमरावती	--	215.26	10521.67	10736.93
28	यवतमाल	--	--	12046.78	12046.78
29	वर्धा	--	--	5456.80	5456.80

30	नागपुर	1224.43	1207.76	9471.45	11903.64
31	भंडारा	713.73	704.40	5410.22	6828.35
32	गोंदिया	803.82	793.22	6314.40	7911.44
33	चंद्रपुर	--	--	8245.48	8245.48
34	गढ़चिरोली	--	--	5145.54	5145.54
	कुल	**7912.00**	**8017.00**	**353742.00**	**369671.00**

नोटः अनुदान केवल पात्र ग्रामीण स्थानीय निकायों को ही जारी किए गए, जो विधिवत रूप से निर्वाचित थे और 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिए परिचालन दिशानिर्देशों में निर्धारित अन्य अनिवार्य शर्तों को भी पूरा करते थे।

अनुबंध- II

पंद्रहवें वित्त आयोग के तहत वर्ष 2023-24 के लिए महाराष्ट्र के पंचायतों को जारी अनुदान का जिला-वार और स्तर-वार ब्यौरा

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	जिला	जिला परिषद	पंचायत समित	गाम पंचायत	कुल
1	ठाणे	--	--	5991.01	5991.01
2	पालघर	1118.07	1118.26	8473.21	10709.54
3	रायगढ़	--	--	10051.37	10051.37
4	रत्नागिरी	--	--	8209.92	8209.92
5	सिंधुदुर्ग	--	--	4323.24	4323.24
6	नाशिक	--	--	20474.53	20474.53
7	धुले	1068.64	1068.32	8333.42	10470.38
8	नंदुरबार	1000.78	1000.89	8219.66	10221.33
9	जलगांव	--	--	14187.00	14187.00
10	अहमदनगर	--	--	19933.31	19933.31
11	पुणे	--	--	18634.93	18634.93
12	सतारा	--	--	14120.77	14120.77
13	सांगली	--	--	11387.77	11387.77
14	सोलापुर	--	--	15597.87	15597.87
15	कोल्हापुर	--	--	16048.86	16048.86
16	संभाजीनगर	--	--	12932.55	12932.55
17	जालना	--	--	8863.24	8863.24
18	परभणी	--	--	7315.59	7315.59
19	हिंगोली	--	--	5870.15	5870.15
20	बीड	--	--	11030.29	11030.29
21	नांदेड़	--	--	14159.90	14159.90
22	धाराशिव	--	--	7869.41	7869.41
23	लातूर	--	--	10442.33	10442.33
24	बुलढाणा	--	--	11467.07	11467.07
25	अकोला	772.88	772.65	6100.35	7645.88
26	वाशिम	713.05	712.81	5587.52	7013.38
27	अमरावती	--	214.08	10485.35	10699.43
28	यवतमाल	--	--	12119.43	12119.43

29	वर्धा	--	--	5444.82	5444.82
30	नागपुर	1188.55	1188.21	9150.09	11526.85
31	भंडारा	701.14	701.21	5436.26	6838.61
32	गोंदिया	789.51	789.40	6350.18	7929.09
33	चंद्रपुर	--	--	8329.36	8329.36
34	गढ़चिरोली	--	--	5061.60	5061.60
	कुल	**7352.62**	**7565.83**	**348002.36**	**362920.81**

नोटः अनुदान केवल पात्र ग्रामीण स्थानीय निकायों को ही जारी किए गए, जो विधिवत रूप से निर्वाचित थे और 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिए परिचालन दिशानिर्देशों में निर्धारित अन्य अनिवार्य शर्तों को भी पूरा करते थे।

पंद्रहवें वित्त आयोग के तहत वर्ष 2024-25 के लिए महाराष्ट्र के पंचायतों को जारी अनुदान का जिला-वार और स्तर-वार ब्यौरा

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	जिला	जिला परिषद	पंचायत समित	गाम पंचायत	कुल
1	ठाणे	--	--	5474.48	5474.48
2	पालघर	1976.40	982.55	7456.37	10415.32
3	रायगढ़	--	--	6661.14	6661.14
4	रत्नागिरी	--	--	7930.86	7930.86
5	सिंधुदुर्ग	--	--	3940.47	3940.47
6	नाशिक	--	--	18421.24	18421.24
7	धुले	1886.67	935.65	6777.18	9599.50
8	नंदुरबार	446.96	900.74	7518.84	8866.54
9	जलगांव	--	--	15210.85	15210.85
10	अहमदनगर	--	--	17588.03	17588.03
11	पुणे	--	--	17287.82	17287.82
12	सतारा	--	--	11632.24	11632.24
13	सांगली	--	--	10090.78	10090.78
14	सोलापुर	--	--	14347.25	14347.25
15	कोल्हापुर	--	--	15528.68	15528.68
16	संभाजीनगर	--	--	8217.44	8217.44
17	जालना	--	--	8172.80	8172.80
18	परभणी	--	--	7081.78	7081.78
19	हिंगोली	--	--	5654.09	5654.09
20	बीड	--	--	9218.53	9218.53
21	नांदेड़	--	--	12555.35	12555.35
22	धाराशिव	--	--	4924.22	4924.22
23	लातूर	--	--	9877.40	9877.40
24	बुलढाणा	--	--	9745.21	9745.21
25	अकोला	345.04	643.84	5196.70	6185.58
26	वाशिम	318.33	632.28	4078.90	5029.51
27	अमरावती	--	95.98	8164.26	8260.24
28	यवतमाल	--	--	10772.96	10772.96
29	वर्धा	--	--	3652.63	3652.63
30	नागपुर	1994.18	846.19	7505.95	10346.32

31	भंडारा	313.11	586.74	4680.82	5580.67
32	गोंदिया	892.78	464.39	5676.73	7033.90
33	चंद्रपुर	--	--	7241.39	7241.39
34	गढ़चिरोली	--	--	4426.36	442636
	कुल	**8173.47**	**6088.36**	**302709.75**	**316971.58**
नोटः अनुदान केवल पात्र ग्रामीण स्थानीय निकायों को ही जारी किए गए, जो विधिवत रूप से निर्वाचित थे और 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिए परिचालन दिशानिर्देशों में निर्धारित अन्य अनिवार्य शर्तों को भी पूरा करते थे।					

***